

19/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील काडी उप०। वकील काडी ने पत्रावली पर NOT PRESS अंकित किया। वकील काडी पत्रावली को आगे जैरकार रखना उचित नहीं समझे हैं। अतः वाद को NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार ऐकर नम्बर से काम की जावे। निर्णय आज दिनांक 19.9.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप सपड अधिकारी  
मंगरोल जिला बरौ (राज०)

NOT PRESS  
By me  
अब्दुलमुता  
19.9.22